भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3134
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

खुदरा बिक्री केन्द्रों में सीएनजी की आपूर्ति

†3134. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संख्या पी-12029 (11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी, दिनांक 8 नवंबर 2019 के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा संपूर्ण देश में विभिन्न आबंटित भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में शहरी गैस वितरण के लिए प्राधिकृत कंपनियों को नवस्थापित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा स्थापित/स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों को सीएनजी की आपूर्ति करने का अधिदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी तेल विपणन कंपनियों को सीएनजी भंडारण/वितरण अवसंरचना की संस्थापना और ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित मानकीकृत संविदा/वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकृत सीजीडी संस्थाओं से सीएनजी आपूर्ति लेने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने बिक्री केन्द्रों पर सीएनजी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(घ) क्या उपर्युक्त संकल्प के अनुसार ऐसी तेल विपणन कंपनियों का विचार नई पीढ़ी के अपेक्षित वैकल्पिक ईंधन के विकल्प के रूप में सीएनजी की पेशकश करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) जी, नहीं। प्राधिकृत कंपनियां हाई प्रेशर ट्रांसमिशन मेन्स से एक भौगोलिक विशेष क्षेत्र में स्थित घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक परिसरों तथा सीएनजी स्टेशनों को प्राकृतिक गैस के परिवहन हेतु नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने के लिए अधिदेशित हैं। सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन या तो सीधे ही प्राधिकृत कंपनी द्वारा अथवा दिनांक 08.11.2019 के एमओपीएनजी संकल्प के अनुसार नई स्थापित तेल विपणन कंपनियों सहित प्राधिकृत कंपनी की अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार चुने गए/नियुक्त किए गए उनके डीलरों के माध्यम से किया जा सकता है।

(घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 08.11.2019 के अपने संकल्प द्वारा परिवहन ईंधनों अर्थात मोटर स्पिरिट/हाईस्पीड डीजल का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि प्राधिकृत कंपनियों और पीएसयू ओएमसीज (आईओसीएल/बीपीसीएल/एचपीसीएल) द्वारा अपने प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उक्त बिक्री केन्द्रों का प्रचालन शुरू किए जाने से तीन वर्ष के भीतर पारंपरिक ईंधनों के अलावा कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन अर्थात सीएनजी/तरलीकृत प्राकृतिक गैस/इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट्स आदि के विपणन हेतु सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है।

***